


OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



Anupam Gautam Joining Letter

कार्यालय सचिव जनमागीदारी समिति
शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.
क्रमांक 1207/2021 अनूपपुर, दिनांक 23/11/21
प्रति, नाम् अन्य अने अन्य अने अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य अन्य
विषय:—अतिथि विद्वानों को सत्र 2021—22 के लिए आमंत्रण। संदर्भ:—1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र.936/398/आउशि/शा—2/21 भोपाल दिनांक 30.06.2021 2.पत्र क्र.483/166/आईटी/आउशि/2021, भोपाल दिनांक11.11.2021
विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के परिपालन में आपको शासकीय महाविद्यालय तित्रा के किया में शैक्षणिक सत्र 2021—22 के लिए विषय पाणिशास्त्र में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है। यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगाः—
1. यह आमंत्रण सत्र 2021–22 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक/ग्रंथपाल/ क्रीड़ाधिकारी की पदस्थापना/नियुक्ति होने तक के लिए होगा। 2. आपको महाविद्यालय में तीन दिवस के अंदर (कार्यालयीन समय) तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा।
3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम ०५ घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम ४० घंट उपस्थित रहेना अनिवाध कामान कामान जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत ७ घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम १६ घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडिलय क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यमार में
वृद्धि सेजा सकता है। 4. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति / निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 के अनुसार होगा। 5. लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर आमंत्रण निरस्त कर दिया जावेगा। 6. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा
सकेगा। 7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य
8. आपको मण्यण शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भाषाल के आदेश एक १–42/2017 30 र सार्थ दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में सेवाएं देनी होगी।
g. यह आनंत्रय नामाय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। PRINCIPAL THE CONTROL PAI
जनभा सीमिति होंग् A ब्रिक्सिपे धर्मार्थी वै. १ अनूपपुर
पृ.क./1208 /2021 अनूपपुर, दिनांक $23/11/21$ प्रतिलिपि—
1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा म.प्र.। 2. कार्यालयीन प्रति।
प्राचामहर्भाभिक्ति। प्राचामहर्भाभिक्ति। जनभा, सिक्किंश्रामा शुक्तिमा श्रीक्ति। अनुपपुर
Distt. Anuppur (internal part time)
PRINCIPAL Govt. Tulsi College Anuppur Distt. Anuppur (M.P.)